न्यायालयः उन्नीसवें अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर,म.प्र.

(पीठासीन अधिकारी–विवेक पटेल)

बी. ए. क.	**2172 / 2026**
फाइलिंग नम्बर	**24217/2026**
सी.एन.आर.नं.	**MP20010319792026**
संस्थित दिनांक	**22-07-2026**

संकेत राठौर पिता स्व0 गणेश राठौर
उम्र 22 वर्ष
निवासी–सब्जी मंडी पड़ाव निवाड़गंज
थाना लार्डगंज जिला जबलपुर (म0प्र0)

.....**आवेदक / अभियुक्त**

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर (म0प्र0)

.....**अनावेदक / अभियोगी**

04.08.2026

आवेदक द्वारा श्री अमन विश्वकर्मा अधिवक्ता उपस्थित।
अनावेदक राज्य द्वारा ए.जी.पी. श्री प्रमोद पाण्डे उपस्थित।
प्रकरण जमानत आवेदन पत्र पर तर्क हेतु नियत है।
जमानत आवेदन पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया।

जमानत आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक / अभियुक्त का यह धारा 483 भा0ना0सु0सं0 का **प्रथम** जमानत आवेदन पत्र है, इसके अतिरिक्त आवेदक ने अपनी ओर से कोई जमानत आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही विचाराधीन है और न ही निराकृत हुआ है। आवेदक के विरूद्ध थाना गोहलपुर के अपराध क्रमांक–88 / 2026 धारा धारा–140(3), 309(4) बी0एन0एस0 पंजीबद्ध कर आवेदक को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर के समक्ष पेश किया गया, जहां से आवेदक को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। आवेदक निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फसाया गया है। प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। फरियादी बृजेश से पैसों के उधार का लेन देन था उक्त पैसा फरियादी द्वारा चुकता करने हेतु बृजेश के पास गया था, पैसा नगद नहीं था इस कारण उसने ऑनलाईन पैसा दिया पर पैसा पूरा नहीं दिया इस कारण उनके बीच वाद विवाद हो

गया। आवेदक एवं अन्य तीन व्यक्तियों को पैसों की बुरायी के चलते झूठा फसाया गयाक है। आवेदक द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक जबलपुर का स्थायी निवासी है, उसके भागने या फरार होने की संभावना नहीं है। वह जमानत की सभी शर्तों का पालन करने के लिए तत्पर है। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जावे। जमानत आवेदन पत्र के समर्थन में सीमा राठौर का शपथ पत्र पेश किया गया है।

अभियोजन की ए.जी.पी. द्वारा अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का होने से जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

तर्क पर विचार किया गया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार फरियादी लक्ष्य द्वारा थाना गोहलपुर में इस आशय की शिकायत की कि वह बाई का बगीचा, घमापुर में रहता है। दिनांक 07.02.2026 को लेवर चौक स्थित नागेन्द्र होटल से दोस्त की जन्मदिन की पार्टी मनाकर अपने दोस्त अभिनव श्रीवास्तव के साथ अपनी सफेद क्रेटा कार क्रमाक एम0पी0 04 सीआर 1566 से दीनदयाल होकर अपने घर तरफ वापस आ रहा था, रात्रि करीब 2.30 ए.एम. बजे दोनों बाथरूम करने के लिए कार को रोड से चंडालभाटा रोड पर करीब 50 मीटर अंदर गए वह गाड़ी के अंदर बैठा रहा। अभिनव श्रीवास्तव जैसे ही बाथरूम करने उतरकर बाहर गया इतने में चार अज्ञात लड़के एक मोटरसाईकिल एवं एक्सेस स्कूटी में आकर उसे एवं उसके साथी अभिनव को घेर लिए और उसकी कार की चाबी छुड़ा लिए और चारों ने उन दोनों को हाथ मुक्के से मारपीट किए एवं अभिनव के गले में चाकू अड़ाकर उससे बीस हजार रूपए की मांग करने लगे उसके पास नगद रूपए नहीं थे तो चारों ने अपनी मोटरसाईकिल व स्कूटी वहीं छोड़कर कार में बंधक बनाकर यहां वहां करीब ढाई घंटे तक घुमाते रहे और उसे एवं उसके दोस्त अभिनव को चाकू अड़ाकर हाथ मुक्का व बेल्ट से मारपीट करते रहे जब उसने उन्हें अपने मोबाईल से ऑन लाईन सुपर मनी एप के माध्यम से बीस हजार रूपए 9755453862 पर 3.20 मिनट पर जबरन डरा धमका कर डलवा लिए एवं उसके दाहिने हाथ में पहनी सोने की अंगूठी छुड़ा लिए। उसके बाद सुबह करीब 5.00 बजे उन्हें उनकी मोटरसाईकिल व स्कूटी के पास चंडालभाटा में लाकर छोड़े और उनके पीछे–पीछे कमानिया गेट तक गए थे, इसलिए डर के कारण फिर से मारपीट न करे अभी रिपोर्ट करने अभिनव के साथ आया हूं। मारपीट से उसे सिर, चेहरे, गले एवं

कमर में चोटें आई एवं अभिनव को बाएं तरफ गाल, दाहिने तरफ नाक के उपर पीठ में चोटें आई हैं। वे व्यक्ति 18–20 वर्ष के थे। उक्त शिकायत के आधार पर थाना गोहलपुर पुलिस द्वारा जांच उपरांत अपराध क्रमांक–88/2026 अंतर्गत धारा–140(3), 309(4) बी0एन0एस0 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा 25 आयुध अधिनियम का इजाफा करते हुए अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया गया।

आवेदक/आरोपी की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है। प्रकरण के सहअभियुक्त बृजेश मेहतो को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एम.सी. आर.सी. क्रमांक–23635/2026 अनुसार जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। उक्त अभियुक्त का प्रकरण भी सहअभियुक्त/आवेदक से भिन्न नहीं है। अतः समानता के आधार पर आवेदक/आरोपी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदक/अभियुक्त **संकेत** ने अपने मेमोरेण्डम में यह व्यक्त किया है कि वह, बृजेश, सुमित व सचिन घूम रहे थे। उन लोगों ने साथ में पार्टी की फिर घर लौटते वक्त पैसों की लूट करने का प्लान बनाया तब सफेद रंग की क्रेटा कार चंडाल भाटा के अंदर रूकी, एक लड़का बाथरूम के लिए कार से उतरा तभी चारों ने कार को घेर लिया और कार में बैठे लड़के को भी कार से उतारा और दोनों के साथ मारपीट कर कार चला रहे लड़के की अंगूठी छीन ली। पैसों की मांग की थी। उन्हें शराब पीने के लिए पैसों की जरूरत थी, उसने कार चलाने वाले लड़के का मोबाईल लेकर उससे अपने मोबाईल में 20,000/–रूपए ट्रांसफर कर लिए। आवेदक पक्ष की ओर से पेश **माननीय उच्च न्यायालय का एम.सी.आर.सी. क्रमांक 23635/2026 आदेश दिनांक 01 जुलाई 2026** का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रकरण के सहअभियुक्त बृजेश मेहतों को जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। उक्त अभियुक्त का प्रकरण भी जमानत प्राप्त सहअभियुक्त से भिन्न नहीं है। अतः समानता के आधार पर प्रकरण की समग्र परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त/आवेदक का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त **संकेत** की ओर से न्यायिक मजिस्ट्रेट के संतोषप्रद 50,000/–रूपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र निम्न शर्तों के साथ प्रस्तुत किया जावे कि वह साक्षियों को प्रभावित नहीं करेंगे और प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तो उसे जमानत पर रिहा किया

जावे।

आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जावे।

आदेश डिजिटल हस्ताक्षर पश्चात सी.आई.एस. में अपलोड किया जावे।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

Sd-
(विवेक पटेल)
उन्नीसवें अपर सत्र न्यायाधीश
जबलपुर म.प्र.

VIVEK PATEL
Digitally signed by VIVEK PATEL
Date: 2026.08.04 15:24:46 +0530